न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः 277 / 2022

वादीः–

अमराराम पुत्र गीगाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी नोसल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. हनुमान पुत्र पेमा जाति जाट निवासी खाखड़की तहसील नावां।
2. राजकुमार अग्रवाल पुत्र जीवणमल जाति अग्रवाल निवासी नावां तहसील नावां।
3. जगदीश पुत्र पेमा जाति जाट निवासी खाखड़की तहसील नावां।
4. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामन सिटी।
5. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांभर लेक।
6. राज. सरकार जरिए प्रतिनिधी तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

दावा वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं भू–विभाजन
अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री विक्रमसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय दिनांकः– 09.09.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम खाखडकी पटवार हल्का खाखडकी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 / 321 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1019 / 530 रकबा 3.48 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 739 / 163 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. कुंआ भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बतौर सबूत दावा के साथ पेश किये। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 321 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 530 रकबा 6.95 हैक्टर व खसरा नम्बर 739 / 163 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 8.95 हैक्टर भूमि स्थित थी। उक्त पूर्व खसरान की भूमि मे से खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उक्त खसरा नम्बर 321, 530, 739 / 163 कुल रकबा 8.95 हैक्टर भूमि मे से 0.16 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 13.09.2011 से प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार के नाम निष्पादित कर दी। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामे का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं करवाया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामे के आधार पर ही उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि में से अपनी खरीद सुदा 0.16 हैक्टर भूमि का बैचान वादी के पक्ष मे दिनांक 04.08.17 को निष्पादित कर दिया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

बैचान की गई भूमि का भौतिक कब्जा मौके पर वादी को सुपूर्द कर दिया। परन्तु वादी ने भी भूलवश उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामे का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नही करवाया जिससे उक्त बैचाननामे का राजस्व रेकार्ड मे अंकन वादी के नाम नहीं हो सका तत्पश्चात उक्त खसरान की भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने उक्त भूमि का विभाजन करवा लिया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की उक्त खसरान की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 1017/321, 1019/530 कुल रकबा 4.47 हैक्टर व खसरा नम्बर 1016/321 रकबा 1.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर कुल रकबा 4.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 739/163 रकबा 0.01 हैक्टर कायम हुये है। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि मे से वादी की 0.1 6हैक्टर भूमि वादी की जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद सुदा कब्जे सुदा भूमि स्थित रही है जिसमे वादी काबिज होकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि का वादी से पूर्व के खातेदारान जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामे के क्रेता व प्रतिवादीगण ने मौके पर भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारे अनुसार ही अपने अपने हक व हिस्से मे आई भूमि पर सीव डोल लगाकर सीमा कायम कर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी अपनी जरियें रजिस्टर्ड बैचाननामें के खरीद सुदा भूमि का राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करवाने का व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भोतिक बंटवारे अनुसार व कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करवाकर भू–विभाजन व वादी की खरीद सुदा 0.16 हैक्टर भूमि की खातेदारी पाने व इस्तकरार हक की डिक्री पाने का पूर्ण कानुनी मुश्तहक है। मौजा ग्राम खाखडकी पटवार हल्का खाखडकी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017/321 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1016/321 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर कुल रकबा 4.47 हैक्टर व खसरा नम्बर 739/163 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. कुंआ भूमि में से वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामे के आधार पर खरीद की गई भूमि का प्रतिवादी सख्या 1 की भूमि में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भौतिक कब्जा काश्त अनुसार भू–विभाजन की किया जावे। इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा व भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी उपभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम खाखडकी पटवार हल्का खाखडकी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नम्बर 1017/321 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 739/163 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. कुंआ भूमि में से वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामे के आधार पर खरीद की गई भूमि का प्रतिवादी सख्या 1 की भूमि में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भौतिक कब्जा काश्त अनुसार भू–विभाजन की किया जावे। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल चालू जमाबंदी संवत 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी1, प्रदर्श पी2, प्रदर्श पी3 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी4, प्रदर्श पी5, प्रदर्श पी6 एवं असल रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 04.08.2017 प्रदर्श पी7 व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 13.09.2011 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 पेश किये तथा साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी अमराराम, पी.डब्ल्यू.2 रतनलाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी खाखड़की तहसील नावां एवं पी.डब्ल्यू.3 छोटूराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी खाखड़की तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम खाखडकी पटवार हल्का खाखडकी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017/321 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1016/321 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर कुल रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बारानी 2 व खसरा नम्बर 739/163 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं भूमि में से मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादी अमराराम को खातेदार काश्तकार तथा खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर भूमि प्रतिवादी जगदीश व खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि प्रतिवादी हनुमानराम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 1018/530 से लगती हुई, का प्रतिवादी जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम खाखडकी पटवार हल्का खाखडकी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017/321 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

1016/321 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर कुल रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बारानी 2 व खसरा नम्बर 739/163 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं भूमि में से मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादी अमराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1018/530 रकबा 3.47 हैक्टर भूमि प्रतिवादी जगदीश व खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि प्रतिवादी हनुमानराम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से खसरा नम्बर 1019/530 रकबा 3.48 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 1018/530 से लगती हुई, का प्रतिवादी जगदीश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:22 IST
Reason: SelfAttested